न्यायालय श्रीमान् राजस्व मण्डल ग्वालियर कैंप रीवा सम्भाग रीवा (म0प्र0)

निगरानी 302-III-15

COURT FEE 20 Rs. भारत INDIA बीस रुपये TWENTY RUPEES

Rs. 20/-

13
12.1.15

हंसधारी पिता देवलाल केवट सा0 कारी तहसील देवसर थाना जियावन जिला सिगरौली म0प्र0 ---आवेदक

बनाम

म0प्र0 शासन ------------------------------- ---अनावेदक

श्री ... द्वारा आज दिनांक 12.01.15 को प्रस्तुत किया गया।
रीडर
सर्किट कोर्ट रीवा

निगरानी विरूद्ध निर्णय न्यायालय तहसीलदार तहसील देवसर जिला सिगरौली म0प्र0 के राजस्व प्रकरण क्रं0 62-अ-19-(4) 04-05 मे पारित आदेश दिनांक 11/04/2005

निगरानी अन्तर्गत धारा 50 म0प्र भू-राजस्व सहिता

मान्यवर,

निगरानी के निम्नांकित आधार है :-

क्रमांक 4401 रजिस्टर्ड पोस्ट द्वारा आज दिनांक 29-1-15 क्लर्क ... राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

1. यह कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 11/04/2005 सर्वथा विधि विधान तथा प्राकृतिक न्याय सिद्धान्तों के विपरीत होने से स्थिर रखने योग्य नही है।

2. यह कि वादित आराजी ग्राम कारी तहसील देवसर मे स्थित है जिसका खसरा क्रं0 435 रकवा 0.60 हे0 436 रकवा 0.40 हे0 440 रकवा 0.60 हे0 किता तीन योग रकवा 1.60 हे0 का प्रार्थी/आवेदक भूमि स्वामी एवं आधिपत्यधारी है वादित भूमि पर प्रार्थी लम्बे अर्से से काविज काश्त तथा मकान कूप व लायन वृक्ष लगाकर आवाद है, निगराकार के पक्ष मे प्रश्नाधीन भूमि का पट्टा मिला था जो पट्टा विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा सुनवाई उपरान्त विधि सम्यक अनुक्रम मे आवेदक को दिया गया था इसलिए आवेदक को बिना सुने कोई आदेश पारित नही किया जा सकता था परन्तु विद्वान अधीनस्थ अदालत द्वारा प्रश्नाधीन आदेश पारित करतें समय आवेदक को

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ–अ

मामला क्र0R.302–III / 15 जिला–सिंगरौली

हंसधारी केवट / शासन म0प्र0

(1)	(2)	(3)
14.03.18	1. प्रकरण प्रस्तुत। 2. आवेदक तथा उनके अधिवक्ता की पुकार करायी गयी किन्तु सूचना उपरांत उपस्थित नहीं है। 3. चूकि आवेदक तथा अभिभाषक सूचना उपरांत उपस्थित नहीं है। अतः संहिता की धारा–35(2) के तहत प्रकरण अदम पैरवी में खारिज किया जाता है। 4. आदेश की प्रति अधीनस्थ न्यायालय को भेजी जावे, तत्पश्चात प्रकरण पंजी से समाप्त होकर दा.द. हो। सदस्य	